राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6(100)/परि/कर/मु./07 / 13849 जयपुर, दिनांकः 22.11.2012

कार्यालय आदेश संख्या 21/2012

राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में वाहनों के पंजीयन के लिए उच्चतर यूरो मानक होने के कारण अलवर जिले के मूल निवासियों के स्वामित्व के वाहनों का पंजीयन आसपास के पंजीयन अधिकारियों के कार्यालयों में किये जाने के लिए इस कार्यालय द्वारा आदेश संख्या 26/2001 जारी किया गया था। इस कार्यालय आदेश के अंतिम पैरा के अनुसार अलवर जिले के व्यक्ति एवं संस्थाओं के वाहन अलवर जिले के स्थायी पते के पुख्ता प्रमाण पत्र के साथ कोटपूतली के अस्थायी पते पर इन वाहनों का पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली के द्वारा किया जाता रहा है। इन वाहनों के कराधान अधिकारी एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में भी स्थिति अस्पष्ट होने के कारण वाहन स्वामियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पडता है।

राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 3 के अनुसार अधिनियम के अधीन नियुक्त कराधान अधिकारी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:– "(तत्समय प्रवृत विधि) के अधीन नियुक्त जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए कराधान अधिकारी होगा।

परन्तु यदि स्वामी किसी मोटर यान को दो या अधिक कराधान अधिकारियों की अधिकारिता में चलाता है तो वह कराधान अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में क्षेत्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग पडता हो, और, चलाने का क्षेत्र बराबर–बराबर होने की दशा में, वह कराधान अधिकारी जिसकी अधिकारिता में साधारणतः वह मोटर यान रखता है और राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और राज्य के भीतर चलने वाले (किसी भी मोटर यान) की दशा में, किसी अनुज्ञा–पत्र के अधीन राज्य के भीतर किये गये प्रथम प्रवेश के स्थान पर अधिकारिता रखने वाला जिला परिवहन अधिकारी कराधान अधिकारी होगा।"

यद्यपि अलवर जिले में अवस्थित एवं संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों का पंजीयन (कार्यालय आदेश 26/2001 के अध्यधीन) जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली के द्वारा किया गया है, तथापि उपरोक्तानुसार इन वाहनों के लिए कराधान अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी, अलवर ही होगा। चूंकि ये वाहन सामान्यतः अलवर जिले में ही रहते है तथा अलवर जिले में ही संचालित होते है। शैक्षणिक संस्थाओं/शैक्षणिक समितियों के नाम से पंजीकृत वाहन जो छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए परिवहन करते है, आमतौर पर मोटर वाहन कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर मुक्त होते है। ऐसे वाहनों को समय–समय पर केवल कर मुक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होता है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:–

1. अलवर जिले में स्थित एवं संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के नाम से जिन वाहनों का पंजीकरण जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली द्वारा किया गया है, उन वाहनों का राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 28 (G) के उद्देश्य से कराधान अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, अलवर होगा।

2. अलवर जिले की शैक्षणिक/अन्य समितियों के नाम से पंजीकृत वाहनों के करा रोपण/कर मुक्ति के संबंध में कराधान अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, अलवर होगा।
3. परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 10/2011 एवं अधिसूचना संख्या प. 6 (96) कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21.07.1993 के अंतर्गत उन वाहनों का जिनका पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली द्वारा किया गया है, किन्तु उनका उपयोग अलवर जिले में स्थित शैक्षणिक संस्थान में किया गया है के संबंध में युक्ति युक्त आदेश जिला परिवहन अधिकारी, अलवर द्वारा जारी किया जायेगा।
4. जिन वाहनों का पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली के द्वारा किया गया है, तथा उनको परमिट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, अलवर द्वारा जारी किया गया है, उन वाहनों के लिए कराधान अधिकारी अलवर होगा। जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली ऐसे आवेदकों को जिन्हें अलवर रीजन से परमिट प्राप्त करना है, उन्हें केवल परमिट उद्देश्य के लिए टी.सी.सी. जारी करेंगे। ऐसे आवेदकों को अवलर जिले के लिए अंतर जिला अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे, चूंकि इस आशय के प्रमाण पत्र का प्रयुक्तिकरण केवल स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन के लिए ही वांछित है।
5. उपरोक्त क्रम संख्या 1–4 से भिन्न अलवर जिले के स्थायी पते पर पंजीकृत परिवहन यानों की सूची जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, अलवर को उपलब्ध करायेंगे तथा जिला परिवहन अधिकारी, अलवर एक माह में उनके यहां जमा कराये गये कर की सम्पूर्ण सूचना जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

परिवहन आयुक्त
एवं अति. मुख्य सचिव

क्रमांक :– एफ.6(100)/परि/कर/मु./07/13850-852 जयपुर, दिनांक: 22.11.2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .....
2. समस्त मुख्यालय अधिकारी .....
3. रक्षित पत्रावली

उप परिवहन आयुक्त (कर)